संख्याः– ई0डी0एन0–एच0ई0(21)ए0(3)31/2020–वी
शिक्षा निदेशालय (उच्चतर),
हिमाचल प्रदेश, शिमला–1
Tel:0177&2653120, dhe-sml-hp@nic.in', Fax:2812882

शिक्षा निदेशालय उच्चतर हि.प्र.
05 SEP 2020

दिनांक शिमला–1 सितम्बर, 2020

सेवा में

1. उप–शिक्षा निदेशक, उच्चतर शिक्षा, समस्त जिला, हिमाचल प्रदेश।
2. प्रधानाचार्य/ मुख्याध्यापक, समस्त राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक/उच्च पाठशाला, हिमाचल प्रदेश।

विषयः– **Suo-Moto action on the news item published in Divya Himachal Hindi Newspaper on dated 22-07-2020 titled - ' पबजी के चक्कर मां के खाते से डेढ़ लाख उड़ा बैठा लाडला मामला जिला सोलन का है।**

उपरोक्त विषय पर, पत्र संख्याः–सी.पी.सी.आर.–ए(4)–27/2016–604–605 दिनांक 20–08–2020 के अन्तर्गत अध्यक्षा, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, हिमाचल प्रदेश, द्वारा उपरोक्त वर्णित खबरशीर्षक - **' पबजी के चक्कर मां के खाते से डेढ़ लाख उड़ा बैठा लाडला मामला जिला सोलन का है।** को इस निदेशालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया है क्योंकि प्रकाशित खबर का अध्ययन करने पर ज्ञात हुआ है कि ऑनलाइन पढाई करते हुए एक 13 वर्षीय लड़का पबजी खेलते–खेलते ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गया। खेलते–खेलते उसे एक फोन कॉल आई कि यदि उसने ऑनलाइन पैसे जमा नहीं करवाए, तो वह उसके माता–पिता को मार देगा। इससे डरे हुए बच्चे ने अपनी मां के खाते से करीब एक लाख 40 हजार रूपए ऑनलाइन ही विभिन्न खातों में ट्रांसफर कर दिए। चूंकि कोविड–19 की महामारी के दौरान बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई करनी पड़ रही है अतः पढ़ाई करते समय सावधानी रखनी बहुत जरूरी है। बच्चे फोन पर गेम खेलते हुए जाने–अनजाने में आने वाले links/offers को खोल देते हैं जिससे इस दौरान message भेजने वाला व्यक्ति रूपयों की मांग कर देता है। अतः आयोग द्वारा चाहा गया है कि इस हेतु को बच्चों एवं अभिभावकों को विज्ञापन/संचार माध्यम की सहायता से समस्त प्रदेश में जागरूकता अभियान चलाया जाए।

इस सन्दर्भ में, आपको निर्देश दिये जाते हैं जैसा कि आयोग द्वारा चाहा गया है सभी बच्चों एवं उनके अभिभावकों एवं स्कूल प्रबंधन समितियों को विज्ञापन/संचार /वेबिनार माध्यम द्वारा इस प्रकार की घटनाओं से बचाव हेतु जागरूक करें तथा व्यापक प्रचार करें ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृति न हो।

(डा0 प्रमोद चौहान),
अतिरिक्त शिक्षा निदेशक(महा0),
उच्चतर शिक्षा, हिमाचल प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याः सम दिनांक शिमला–1 सितम्बर, 2020
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. अध्यक्षा, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, हिमाचल प्रदेश, शर्मा भवन, बिलो बी.सी.एस., फेज़–3, न्यू शिमला–171009 को उनके उपरोक्त संदर्भित पत्रानुसार सूचनार्थ प्रेषित है।
2. तकनिकी अधिकारी, सूचना एवम प्रौद्योगिकी कक्ष, उच्चतर शिक्षा निदेशालय से अनुरोध है कि उक्त पत्र को विभागीय वैबसाइट पर उपलब्ध करवाने हेतु।
3. रक्षक नस्ति।

अतिरिक्त शिक्षा निदेशक(महा0),
उच्चतर शिक्षा, हिमाचल प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:- शिक्षा जी 2 आर (बिबद)/....1458.............. दिनांक ऊना 7-9-2020
कार्यालय शिक्षा उप निदेशक (उच्चतर) ऊना जिला ऊना (हि०प्र०)

समस्त प्रधानाचार्य / मुख्याध्यापक / रा०व०मा०पा० / रा०ऊ०पा० जिला ऊना (हि०प्र०) को सूचना तथा आवश्यक कर्यावाही हेतू प्रेषित है ।

शिक्षा उप निदेशक(उच्चतर)
ऊना जिला ऊना (हि०प्र०)